राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन / फेक्स : 02992–252377 ई–मेल : pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
10.01. 2019

सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कर परिवादियो को पहुंचाएं राहत–जिला कलक्टर
4 प्रकरणों का निस्तारण

जैसलमेर, 10 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कर परिवादियों को समय पर राहत पहुंचावें ताकि इस उच्च स्तरीय फोर्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे समिति में दर्ज प्रकरणों को सदैव गंभीरता से लें एवं परिवादी को बुलाकर उसके मामले में क्या राहत मिल सकती है उसके बारे में भी अवगत करावें एवं साथ ही उनके स्तर से जिन समस्या का निस्तारण हो सकें उनका निदान करें ताकि लोगों को जिला स्तर की सतर्कता समिति मे कम से कम प्रकरणों के लिए आना पडें। बैठक में समिति स्तर पर दर्ज 09 प्रकरणों पर विस्तार से समीक्षा की गई एवं संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद समिति स्तर से 4 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया।

बैठक में नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.किरण कैंग सिन्धु, अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेश्वरलाल मीणा, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन प्रहलाद मीणा, उपायुक्त उपनिवेशन मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर विकास राजपुरोहित, फतेहगढ सुमन सोनल, आयुक्त नगरपरिषद पवन कुमार के साथ ही अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों के मामले में जिन विभागों को जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा में प्रकरण निस्तारण गंभीरता से करें। उन्होंने साथ ही यह भी हिदायत दी कि प्रकरण में की गई कार्यवाही से परिवादी को भी अवगत करायें। उन्होंने बैठक में प्रकरणों से

संबंधित परिवादियों को बुलाया एवं अधिकारियों द्वारा उनके प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई है उससे भी अवगत कराया।

जिला कलक्टर ने आयुक्त नगरपरिषद को निर्देश दिए कि वे कच्ची बस्ती के मामलों में अपने स्तर से प्रकरण हल कराने की कार्यवाही करें। बैठक में परिवादी संतोष एवं परिवादी चनेशरखां निवासी जांवध जूनी का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण समिति स्तर से निस्तारित कर दिया गया। वहीं परिवादी बचलखां निवासी फतेहसर के मामले में अधीक्षण अभियंता विद्युत ने बताया कि परिवादी स्वंय ने बताया कि उसके नाम से गलत शिकायत की गई है इसलिए यह प्रकरण भी समिति स्तर से निस्तारित कर दिया गया। वहीं परिवादी जगमालाराम के मामले में विकास अधिकारी जैसलमेर समिति ने बताया कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दर्ज कर दिया गया है, इसलिए यह प्रकरण भी समिति स्तर से निस्तारित कर दिया गया।

बैठक में परिवादी मोचारे खां के लक्ष्मणों की बस्ती में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के मामले में जिला कलक्टर ने तहसीलदार जैसलमेर को निर्देश दिए कि वे विद्युत विभाग को आवंटित भूमि के कागजात आज ही उपलब्ध करवा दें। साथ ही इस मामले में अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे 5 दिवस में इस मामले की प्रभावी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करें। परिवादी रावताराम निवासी राजगढ द्वारा गोचर एवं औरण भूमि पर अवैध काश्त एवं अतिक्रमण के मामले में जिला कलक्टर ने तहसीलदार भणियाणा को निर्देश दिए कि वे इस प्रकरण में जो आदेश उनके द्वारा जारी किए है उसकी पत्रावली तहसीलदार पोकरण को उपलब्ध करवा दें। साथ ही तहसीलदार पोकरण को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह में इस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करवा दें।

बैठक में परिवादी रोजेखां द्वारा महानरेगा में फर्जीवाडे की शिकायत के मामले में जिला कलक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को निर्देश दिए कि वे सैम्पल रूप से 2 कार्यो की जांच पीडब्ल्यूडी से करवा दें। इसी प्रकार परिवादी सलीम खां निवासी हसन का गांव के मस्टररोल जारी नहीं करने के मामले में भी उनको निर्देश दिए कि वे इसकी जांच कर मस्टररोल को शीघ्र ही जारी करवा दें। परिवादी सरपंच ग्राम पंचायत बोडाना के डीलर की मनमानी के मामले में जिला कलक्टर ने रसद विभाग के निरीक्षक को निर्देश दिए कि वे इसकी जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कैंग सिन्धु ने भी पुलिस से संबंधित परिवादों को सुना एवं संबंधित लोगों को आवश्यक कार्यवाही कराने का विश्वास दिलाया। अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बैठक में एक–एक प्रकरण को विस्तार से रखा वहीं विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रकरणों के मामले में पालना प्रगति प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करें। ––––000––––

जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में लोगों की सुनी धैर्य से परिवेदनाएँ, प्राथमिकता से निस्तारित कर राहत पहुंचाने के दिए निर्देश
जनसुनवाई के प्रति लोगों में बढ़ें विश्वास,

जैसलमेर, 10 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान लोगों की धैर्य के साथ परिवेदनाएँ सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन परिवेदनाओं में प्राथमिकता से कार्यवाही करते हुए संबंधित को राहत पहुंचावें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनसुनवाई से समय पर राहत मिले तभी लोगों का इस पर विश्वास बढता है। जिला स्तरीय जनसुनवाई में अच्छी संख्या में लोग उपस्थित हुए एवं अपनी व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्या से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र पेश किए।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.किरण कैंग सिन्धु, अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेश्वरलाल मीणा, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन प्रहलाद मीणा, उपायुक्त उपनिवेशन मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर विकास राजपुरोहित, फतेहगढ सुमन सोनल, आयुक्त नगरपरिषद पवन कुमार के साथ ही अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलक्टर ने विशेष रुप से आमजन की सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके विभाग की समस्याओं के प्रति सजग रह कर समस्या का समाधान अपने स्तर से करें ताकि लोगों को जिला स्तर तक नहीं आना पडें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी आमजन की जनसमस्या के निराकरण को प्राथमिकता दे रहीं है इसलिए सभी अधिकारी अपने विभाग स्तर पर गंभीरता से लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान करना है तभी हम गुड गर्वनेंस को दे सके। उन्होंने नगरपरिषद के पानी, बिजली के साथ ही सडक पर किए गए अतिक्रमणों के मामले में भी अपने स्तर से नियमित रूप से निरीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान परिवादी भीमाराम निवासी वाल्मिकी बस्ती के लोगों ने मुख्य सडक पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया तो जिला कलक्टर ने इसकी जांच करके अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सहकारी विभाग के ईओ शोभा चारण को निर्देश दिए कि वे सहकारी समितियों में ऋण

के मामले में अनियमितता के संबंध में प्रार्थना पत्र परिवादियों ने दी है उसकी गंभीरता से जांच करावें। उन्होंने परिवादी नरपतसिंह द्वारा पंचायत पिथला में सरपंच द्वारा किए गए फर्जीवाडे के मामले में विकास अधिकारी जैसलमेर को निर्देश दिए कि वे इसकी जांच करावें। उन्होंने परिवादी नेपालसिंह के मामले में विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इसकी जांच करवाकर रास्ते पर यदि अतिक्रमण हो तो हटाने की कार्यवाही करें।

जनसुनवाई के दौरान लखमणों की बस्ती के लोगों ने बताया कि सडक को चौडी करनी है इस संबंध में अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी ने बताया कि सडक को चौडी करने के कार्यादेश जारी कर दिए है। परिवादी महेन्द्रसिंह के मामले में तहसीलदार जैसलमेर को निर्देश दिए कि वे स्वंय जांच कर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने परिवादी ढोलूराम के मामले में चांदाराम की ढाणी के कटान रास्ते पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जीवनलाल के मामले में सीडीईओ को निर्देश दिए कि उसके विद्यार्थी मित्र के चयन के मामले में जिस पीओ की गलती रही है उसको कारण बताओं नोटिस जारी करावें।

जनसुनवाई के दौरान परिवादी ईशेखां की ढाणी के वासिंदो ने पानी की समस्या से अवगत कराया तो इस मामले में जिला कलक्टर ने जलदाया विभाग के अभियंता को निर्देश दिए कि वे इसकी जांच कर पेयजल आपूर्ति सुचारू करावें। परिवादी अल्लाहबक्श के मामले में अधिशाषी अभियंता नहर परियोजना को निर्देश दिए कि वे उनके मुरब्बों में पानी की बारीबंदी को सही करावें। परिवादी बाबूराम निवासी दबडी के मामले में विकास अधिकारी सम को निर्देश दिए कि वे बबूल कटाई के संबंध में राशि का किया गया दुरूपयोग की जांच करावें।

जिला कलक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कहा कि जो प्रकरण जनसुनवाई में प्राप्त हुए है उनको सम्पर्क पोर्टल में दर्ज करके संबंधित को प्रेषित कर दिए जायेगें। उन्होंने यह निर्देश दिए कि वे इन प्रकरणों में समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही करके परिवादी को अवश्य ही राहत प्रदान करावें। इस प्रकार जिला स्तरीय जनसुनवाई लोगों के लिए काफी लाभदायी रहीं। जनसुनवाई में परिवादियों को राहत मिलने से जिला स्तरीय जनसुनवाई के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है एवं जनसुनवाई में परिवादियों की संख्या में हर बार बढौतरी हो रही है।

सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय पर करें निस्तारण

जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों को भी गंभीरता से लें एवं समय सीमा के अन्तर्गत उसको निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

-----000-----

एडोप्टर्स ग्राम पंचातयों में योजनाओं का प्रभावी ढंग से करें निरीक्षण

जैसलमेर, 10 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि जैसलमेर जिला '' एसप्रियेशनल डिस्ट्रिक्ट '' के रूप में चयनित है इसलिए नीति आयोग द्वारा जिले के विकास के संबंध में जो इन्डीकेटर विभिन्न विभागों के लिए तय किए गए है उसकी मॉनेटरिंग के लिए 3-4 ग्राम पंचायतों पर एडोप्टर्स लगाए गए है। उन्होंने एडोप्टर्स को निर्देश दिए कि वे उन्हें आबंटित ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर जहां नीति आयोग के जिन क्षेत्रों में इन्डीकेटर तय किए है उसकी प्रभावी मॉनेटरिंग करें वहीं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का समय पर लाभ मिल रहा है उसकी भी भ्रमण के दौरान जांच करावें।

जिला कलक्टर मेहता ने यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एडोप्टर्स की मीटिंग में दिए। उन्होंने सभी एडोप्टर्स को कहा कि वे फिल्ड में भ्रमण के दौरान आमजन से जुडी हुई सेवाओं जैसे पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा के साथ अन्य सेवाओं का निरीक्षण प्रभावी ढंग से करावें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण संवेदनशीलता के साथ लोगों की फरियाद सुनें एवं योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को मिले इस बात को सुनिश्चित करें।

उप निदेशक डॉ.बी.एल.मीणा ने एडोप्टर्स को भ्रमण के दौरान कौन-कौन से कार्य किए जाने है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

-----000-----

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष में गतिविधियां करावें

जैसलमेर, 10 जनवरी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया कि वे नवम् राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर मतदाता जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन मतदाता शिक्षा क्लबों के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने मतदाता जागरूकता के संबंध में इन विद्यालयों में बाल संसद, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने के निर्देश दिए एवं साथ ही किए गए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं वीडियाग्राफी भी करवाकर उसकी सी.डी. स्वीप के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने इसी प्रकार एसबीके राजकीय महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता के संबंध में भाषण प्रतियोगिता, डाईट में चित्रकला प्रतियोगता एवं रामदेव बीएड कॉलेज में निबंध प्रतियोगता का आयोजन 23 जनवरी से पूर्व कराने के निर्देश दिए एवं साथ ही कहा कि प्रतियोगता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम एवं फोटोग्राफ नोडल स्वीप को उपलब्ध करावें।

संवादात्मक स्कूल वचनबद्वता कार्यक्रम आयोजित करावें

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना में संवादात्मक स्कूली वचनबद्वता कार्यक्रम 15 जनवरी को करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रथम चरण मे 43 विद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए साथ ही विद्यार्थियों को चुनाव आयोग द्वारा तैयार लघु फिल्मों को दिखाने एवं मतदान प्रक्रिया से संबंधित विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

––––000––––